पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 708
दिनांक- 27.03.2025

रमजान माह के अलविदा जुमा नमाज के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में नमाज को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु व सुगम यातायात व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है।

दिनांक 28/03/2025 (शुक्रवार) को माह रमजान का आखिरी जुमा (अलविदा) के अवसर पर शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा भारी संख्या में मस्जिदों में एकत्र होकर नमाज अदा की जायेगी। जिसमें मुख्य रूप से शिया समुदाय द्वारा 12:00 बजे से 13:00 बजे तक आसिफी मस्जिद (बड़ा इमामबाड़ा) एवं सुन्नी समुदाय द्वारा 13:00 बजे से 14:00 बजे तक टीले वाली मस्जिद चौक पर नमाज अदा की जायेगी। जिसको सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 1000 अराजपत्रित अधिकारी व 12 राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जिसका पर्यवेक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 09 कम्पनी पीएसी बल की भी तैनाती की जा रही है।

दिनांक 28/03/2025 (शुक्रवार) को जुमे की नमाज के दृष्टिगत क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग कर तथा धार्मिक धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया है ताकि नमाज को सौहार्दपूर्वक सकुशल सम्पन्न कराया जा सके।

नमाज के दौरान जनता के आने-जाने वाले मुख्य मार्गों एवं महत्वपूर्ण स्थानों(टीले वाली मस्जिद, चौक बड़ा इमामबाड़ा आसिफी मस्जिद चौक, ऐशबाग ईदगाह) व चौराहों की निगरानी आधुनिक तकनीकी (ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों) की मदद से की जा रही है जिसमें ड्रोन की मदद से नमाज के दौरान जनता के आवागमन के मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जायेगी।

सार्वजनिक / भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बालिकाओं/महिलाओं के साथ छेड़खानी की सम्भावित घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों तथा एण्टी रोमियो स्क्वायड/पिंक पेट्रोल/112 की डियूटी लागायी जायेगी जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाये रखेगे।

सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे-फेसबुक, इस्टाग्राम, ट्विटर एवं वाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट के संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक कराते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराते हुए तत्काल अफवाहों का खण्डन किया जायेगा।

10.डालीगंज पुल चौराहे से सीतापुर रोड की ओर जाने वाले रोडवेज/सिटी बसे व अन्य वाहन पक्का पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात आई0टी0, कपूरथला, पूरनिया होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

11.शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की ओर से हरदोई रोड की ओर जाने वाले रोडवेज, सिटी बस पक्का पुल, बडा इमामबाडा की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

नोट- सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन इत्यादि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर--9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-715
दिनांक 27-03-2025

यातायात पुलिस

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.03.2025 को माह रमजान का आखिरी जुमा (अलविदा) के अवसर पर प्रात:10.00 बजे से यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत् रहेगी।:-

01-यातायात डायवर्जन व्यवस्था:-

1.सीतापुर रोड की तरफ से आने वाला डालीगंज रेलवे क्रांसिग तिराहे से कोई भी यातायात पक्के पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज से बांये मुड़कर चौराहा नं0 8 निरालानगर से आई0टी0 चौराहा की ओर होकर जा सकेंगे।

2.पक्का पुल खदरा साईड तिराहा से सामान्य यातायात पक्का पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर की नही जा सकेंगे बल्कि यह यातायात पक्कापुल से पहले तिराहे से बन्धा रोड या नया पुल से होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

3.हरदोई रोड/बालागंज से आने वाला यातायात बड़े इमामबाड़े व टीले वाली मस्जिद के तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर मंदिर चौराहे से दाहिने चौक चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

4.कोनेश्वर चौराहे से सामान्य यातायात घण्टाघर होते हुए बडा इमामबाडा, टीले वाली मस्जिद की ओर नही जा सकेंगें, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर मंदिर चौराहे से चौक चौराहा, मेडिकल क्रास (कमला नेहरू), शाहमीना तिराहा या नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहे से नया पुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

5.नीबू पार्क (रूमीगेट चौकी) चौराहे से सामान्य यातायात बड़ा इमामबाड़ा व टीले वाली मस्जिद की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या नींबू पार्क के पीछे नया पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

6.नीबू पार्क ओवरब्रिज से उतरने वाला यातायात रूमी गेट की तरफ नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा, ठाकुरगंज होकर अथवा चरक चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

7.चौक तिराहा से सामान्य यातायात नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहा की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

8.मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहे से सामान्य यातायात फूलमण्डी, खुन-खुन जी गर्ल्स कालेज होकर नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहे की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा या चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

9.शाहमीना तिराहे से सामान्य यातायात पक्कापुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नही जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज, या डालीगंज पुल, आई0टी0 होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 707
दिनांक- 27.03.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **महिला को चाकू से लहूलुहान कर लूट करने वाला अभियुक्त को जेवरात सहित किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तारी स्थान- फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- अंकित प्रजापति उर्फ सोनू**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2025 को थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला, जिसका नाम शिवानी गौतम है, को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है सूचना संज्ञानित लेते हुए तत्काल मौके पर ठाकुरगंज पुलिस पहुँची तो देखा कि, महिला शिवानी गौतम पत्नी नरेश गौतम नि0- होरीलाल मंदिर के पास, शुभम मार्केट, फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 28 वर्ष अपने घर के अंदर घायल अवस्था में पडी हुई है तत्काल पुलिस द्वारा घायल महिला को उपचार हेतु ऐरा मेडिकल कालेज में दाखिल कराया गया। पूछताछ करने पर महिला नें बताया कि पडोस का रहने वाला सोनू उर्फ अंकित प्रजापति ने मेरे ऊपर चाकू से हमला करके मुझको लहूलुहान कर घर में रखा जेवरात लेकर भाग गया। इस घटना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 165/2025 धारा- 309(6)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)(द)(ध)/3(2)(v) SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।

घटना के अनावरण व गिरफ्तारी के लिये एसीपी चौक श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम नें अभियुक्त अंकित प्रजापति उर्फ सोनू जो भागने की फिराक मे था हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा उसकी निशादेही पर लूटे गये सोने चाँदी के दो झोले में आभूषण के अतिरिक्त रक्त रंजित शर्ट व घटना में प्रयुक्त चाकू की भी बरामदगी की गयी है, जो अभियुक्त ने अपने घर में छिपाकर रखा था महिला व अभियुक्त के मध्य घटना के समय गुत्थम-गुथी होने के कारण अभियुक्त सोनू उर्फ अंकित प्रजापति का बायें हाथ की हथेली कट गयी थी जो अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी में सहायक बनी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अंकित प्रजापति उर्फ सोनू पुत्र रामकिशन प्रजापति नि0- होरीलाल मंदिर के पास फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 165/2025 धारा- 309(6)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)(द)(ध)/3(2)(v) SC/ST Act थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-बरामदगी-

- 01 अदद गले का हार पीली धातु का
- 01 जोडी झुमकी पीली धातु की
- 01 अदद टीका पीली धातु का
- 02 अदद मर्दानी/महिला अंगूठी पीली धातु की
- 01 अदद नथ मय लर पीली धातु की
- 01 अदद बालचोटी सफेद धातु की
- 01 जोडी हथफूल सफेद धातु का
- 01 जोडी पायजेब सफेद धातु की
- 01 अदद कर्धनी सफेद धातु की
- कुल 11 जोडी बडे-छोटे-बिछुआ समस्त सफेद धातु की
- रक्त लगी चेकदार शर्ट व सफेद सैण्डो बनियान
- घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 श्रीकांत राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
02. व0उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
03. उ0नि0 श्री शुभम सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
04. उ0नि0 श्री मनुज कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
05. उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ
06. का0 जितेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
07. का0 शिवम सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
08. का0 दीपनारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ
09. का0 बृजेश कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-712

दिनांक- 27.03.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण –

वादी श्री शिवांग पुत्र जगदीश नि0 कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ के प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा, उ0नि0 शिवाकांत तिवारी मय पुलिस टीम के ग्राम कटरा बक्कास पहुँचकर आवेदक शिवांग उपरोक्त व विपक्षी तौशीफ पुत्र हसीब नि0 कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को तलब कर पूछताछ की जा रही थी कि पूछताछ के दौरान ही विपक्षी तौशीफ उपरोक्त आवेदक शिवांग से प्रा0पत्र देने की बात को लेकर तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुये आमदा फौजदारी होने लगा।

मौके पर तौफीक उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु तौशीफ उपरोक्त किसी की बात को नही मानने को तैयार नही हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर अमादा फौजदारी होने लगा मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु अभियुक्त तौशीफ उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अमर सिंह, बबलू, रामेश्वर, नौनिहाल उपरोक्त को धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया अतः तौशीफ अमर सिंह, बबलू, रामेश्वर, नौनिहाल उपरोक्त का **चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस** कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

01-अमर सिंह पुत्र स्व0 शंभू दयाल निवासी मुजफ्फरनगर घुसवल, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

02-बबलू पुत्र स्व0 शंभू दयाल निवासी मुजफ्फरनगर घुसवल, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

03-रामेश्वर पुत्र स्व0 जानकी प्रसाद निवासी मुजफ्फरनगर घुसवल, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

04-नौनिहाल वर्मा पुत्र श्री रामू लोधी निवासी ग्राम कठौता, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष

05-तौशीफ पुत्र हसीब नि0 कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष,

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 709

दिनांक 27.03.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर पंजीकृत अभियोग मे अभियुक्त को अंतर्गत धारा 302 भादवि के अपराध मे दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास और 25,000 रु0- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण व अपराधियो को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयो मे सघन पैरवी के क्रम मे श्री निपुण अग्रवाल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन मे व श्री अमित कुमावत अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी तथा श्री ऋषभ रुणवाल सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र के नेतृत्व मे कोर्ट मोहर्रिर म0का0 4500 डेजी, अभियोजन कार्यालय तथा थाना स्थानीय के पैरोकार का0 7120 रोहित कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु अभियोग मे माननीय न्यायालय ADJ- I लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 24.03.2025 सम्बन्धित वाद सं0 UPLKO10058962022, मु0अ0सं0 435/2021 धारा 302/201/120बी भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेम कुमार रावत उर्फ ज्ञानी पुत्र स्व0 केशराम रावत निवासी धोधन खेडा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को उपरोक्त वाद मे धारा 302 भादवि के अपराध मे दोषसिद्ध करते हुये आजीवन सश्रम कठोर कारावास और 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कठोर कारावास से दण्डिय किया जायेगा।

अभियुक्त का नाम व पता –

01-प्रेम कुमार रावत उर्फ ज्ञानी पुत्र स्व0 केशराम रावत निवासी धोधन खेडा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

फैसला

वाद सं0 UPLKO10058962022, मु0अ0सं0 435/2021 धारा 302/201/120बी भादवि थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेम कुमार रावत उर्फ ज्ञानी पुत्र स्व0 केशराम रावत निवासी धोधन खेडा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ को उपरोक्त वाद मे धारा 302 भादवि के अपराध मे दोषसिद्ध करते हुये आजीवन सश्रम कठोर कारावास और 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कठोर कारावास से दण्डिय किया जायेगा।

पैरवीकर्ता-

01-श्री अंजनी कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

02-कां0 7120 रोहित कुमार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-710
दिनांक-27.03.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **नाबालिग लडकी को शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **पीडिता/अपहृता को अन्दर 24 घण्टे बरामद किया गया।**
- **गिरफ्तारी स्थान- हुसैनबाड़ी थाना ठाकुरगंज**
- **गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 सुहैल**

01-संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त मो0 सुहैल पुत्र मो0 फारूख निवासी ग्राम लोधासन महमूदाबाद जनपद सीतापुर मुकदमा वादिनी की नाबालिग पुत्री से बातचीत करता था। दिनांक 26.03.2025 को वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त मो0 सुहैल शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 27.03.2025 को मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मो0 सुहैल का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा नाबालिग पीडिता को बरामद कर दिनांक 27.03.2025 को अभियुक्त मो0 सुहैल को गिरफ्तार किया गया।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त मो0 सुहैल प्राईवेट काम करता है। जिसके द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगा ले गया था। महानगर पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

(1). मो0 सुहैल पुत्र मो0 फारूख निवासी ग्राम लोधासन महमूदाबाद जनपद सीतापुर उम्र करीब 20 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

(1) मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सौरभ पाण्डेय दुबे थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 विशाल पाण्डेय थाना महानगर लखनऊ
3. का0 विशाल सिंह थाना महानगर लखनऊ
4. म0का0 आंचल सिंह थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-713

दिनांक-27.03.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-गुडम्बा

- **04 घण्टे के अन्दर 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद चोरी की गयी मोटरसाईकिल**
- **अभियुक्त- सोनू वर्मा**
- **गिरफ्तारी स्थान- स्कार्पियों क्लब के आगे कुकरैल के जंगल थाना गुडम्बा लखनऊ**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 27.03.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर उनकी मोटर साइकिल संख्या UP32DF9662 हिरो ग्लैमर को थ्राइमर सफटवेयर सेक्टर जे जानकीपुरम से दिनांक 23.03.2025 को चोरी हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 115/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना गुडम्बा के उ0नि0 श्री रंजीत कुमार मिश्रा द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के विगत 4 घण्टे के अन्दर पतारसी सुरागरसी के क्रम में अभियोग से सम्बन्धित चोरी की गयी मोटर साइकिल संख्या UP32DF9662 की बरामदगी व चोरी करने वाले अभियुक्त सोनू वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम बदावर थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा हाल पता मिश्रपुर गाँव थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष की गिरफ्तारी स्कार्पियो क्लब के आगे कुकरैल जंगल के पास से की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू वर्मा पुत्र हरिकेश वर्मा, माता का नाम सरोज निवासी ग्राम बदावर थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा हाल पता मिश्रपुर गाँव थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष (बेरोजगार)

04-बरामदगी:-

- मोटर साइकिल संख्या UP 32 DF 9662

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार मिश्र
3. उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव
4. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार सिंह
5. हे0का0 अशोक यादव
6. का0 विकल्प
7. का0 कृष्णा चौधरी
8. का0 अंकित यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-714
दिनांक- 27.03.2025

- **साईबर सेल द्वारा शिकायतकर्ता के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगे गये शत प्रतिशत धनराशि 2,28,000.00/- रूपये वापस कराये गये।**

01-संक्षिप्त विवरण

शिकायतकर्ता सुश्री कुमारी प्रियांका त्रिपाठी निवासी फरीदी नगर इंदिरानगर लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया कि साइबर अपराधियो ने टेलीग्राम के माध्यम से सम्पर्क कर आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कम समय में ज्यादा प्राफिट देने का झाँसा देकर फर्जी बेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए उनसे 2,28,000.00/- रूपये साइबर ठगों द्वारा ठगी कर लिया गया था।

02-साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही

शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल में दिये गये प्रार्थनापत्र CCN:-2510/2023 दिनाक 18.05.2023 को पंजीकृत कर साईबर सेल के द्वारा प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक / कम्पनियो से सम्पर्क कर संदिग्ध खातो को फ्रीज करा कर।

प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये सुश्री कुमारी प्रियांका त्रिपाठी निवासी फरीदी नगर इंदिरानगर लखनऊ से साइबर ठगों के द्वारा ठगी गयी कुल धनराशि 2,28,000.00/- रुपये पीड़ित के खाते में दिनाक 26.03.2025 को वापस कराये गये हैं। साइबर क्राइम सेल के द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण शिकायतकर्ता अपने रुपये को वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद प्रकट किया गया है।

03-अपील-

टेलीग्राम / व्हाट्सएप्प के माध्यम से टास्क कम्पलीट करने के नाम पर कम समय में ज्यादा पैसे कमाने से बचें, फ्राडस्टरों द्वारा शुरू में तो थोड़ा प्राफिट दिया जाता है पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कराकर आपसे ठगी कर ली जा जाती है।

04-रुपये बरामद करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश सिहं प्रभारी, साइबर क्राइम सेल
2. म0उ0नि0 आरती वर्मा साइबर क्राइम सेल
3. मु0आ0 अखिलेश पटेल, साइबर क्राइम

अभियुक्तगण के कब्जे से झपटमारी का माल बरामद होने के कारण धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगणों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये आज दिनांक 27.03.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया है।

02- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शैलेन्द्र त्रिवेदी उर्फ जीतू त्रिवेदी पुत्र सुन्दर त्रिवेदी निवासी कनौसी कृष्णानगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष
2. अर्पित वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा निवासी रसूल पुर हरौनी थाना बंथरा लखनऊ उम्र 26 वर्ष

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. **मु0अ0सं0101/2025 धारा 117(2)/304(2)/317(2) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ**
2. **मु0अ0सं0 121/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ**

04-आपराधिक इतिहास –

(शैलेन्द्र त्रिवेदी उर्फ जीतू त्रिवेदी पुत्र सुन्दर त्रिवेदी के विरूद्ध आपराधिक इतिहास)

1. मु0अ0सं0 26/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
2. मु0अ0सं0 96/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
3. मु0अ0सं0 97/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
4. मु0अ0सं0 104/2020 धारा 356/380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
5. मु0अ0सं0 151/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
6. मु0अ0सं0 610/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ
7. मु0अ0सं0 242/2017 धारा 392 भादवि थाना आलमबाग लखनऊ
8. मु0अ0सं0 124/2020 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना आशियाना लखनऊ
9. मु0अ0सं0 447/2022 धारा 147/323/427/504/506 भादवि थाना पारा लखनऊ
10. मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3(1)(घ)/3(1)(द) एसएसी/एसटी एक्ट एवं 115(2)/324(4)/351(3)/352 बीएनएस थाना मानकनगर लखनऊ

(अर्पित वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा के विरूद्ध आपराधिक इतिहास)

1. मु0अ0सं0 23/2019 धारा 392/411/506 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
2. मु0अ0सं0 626/2019 धारा 356/380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
3. मु0अ0सं0 811/2019 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
4. मु0अ0सं0 26/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
5. मु0अ0सं0 47/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
6. मु0अ0सं0 96/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
7. मु0अ0सं0 97/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
8. मु0अ0सं0 104/2020 धारा 380/356/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
9. मु0अ0सं0 519/2020 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ
10. मु0अ0सं0 381/2017 धारा 401 भादवि थाना बंथरा लखनऊ
11. मु0अ0सं0 383/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना बंथरा
12. मु0अ0सं0 369/2023 धारा 4/10/3/28 वन संरक्षण अधिनियम थाना बंथरा लखनऊ
13. मु0अ0सं0 380/2017 धारा 380/411/457 भादवि थाना बंथरा लखनऊ
14. मु0अ0सं0 411/2024 धारा 323/354/504/506 भादवि थाना बंथरा लखनऊ
15. मु0अ0सं0 227/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना बंथरा लखनऊ

नोट – अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-711
दिनांक- 27.03.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

- **थाना अलीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 35146/2015, मु0अ0सं0 110/2015 धारा 489ए/304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी आजाद खाँ पुत्र स्व0 नब्बू खाँ नि0 532ख/68 मेहंदी टोला थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 67 वर्ष को उसके निवास स्थान मेंहदी टोला से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-आजाद खाँ पुत्र स्व0 नब्बू खाँ नि0 532ख/68 मेहंदी टोला थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 67 वर्ष (ताला चाभी का काम करता है।)

03- सम्बन्धित वाद-

1-वाद संख्या 35146/2015, मु0अ0सं0 110/2015 धारा 489ए/304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 संजेश यादव थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-706

दिनांक- 27.03.2025

जोन - पूर्वी / थाना आशियाना

थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चैन स्नैचर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

- 01 अदद चेन व 01 अदद चेन का टुकड़ा एवं 02 अदद मोबाइल फोन बरामद
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मुकदमा शालनी सिंह पत्नी अरूण कुमार निवासी सैनिक नगर आशियाना लखनऊके द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र (प्रकरण- अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 26.03.2025 को रास्ते पर जा रही वादिनी के गले से चैन खींचकर छिनैती करने संबंध में) के आधार पर थाना आशियाना, लखनऊ पर दिनांक 26.03.2025 को मु0अ0सं0 101/2025 धारा 117(2)/304(2)/317(2) बीएनएस बनाम दो बाईक सवार अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त की घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारी गण द्वारा दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में टीम का गठन किया गया तथा गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चेक किया तथा संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। सीसीटीवी फूटेज व अन्य साक्ष्य एकत्रित कर मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 27.03.2025 चेकिंग के दौरान रमाबाई गेट नं0 2 के पास 02 अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र त्रिवेदी उर्फ जीतू त्रिवेदी पुत्र सुन्दर त्रिवेदी निवासी कनौसी कृष्णानगर लखनऊ उम्र 24 व 2. अर्पित वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा निवासी रसूल पुर हरौनी थाना बंथरा लखनऊ उम्र 26 वर्ष को 02 अदद पीली धातु की चेन व 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नम्बर के गिरफ्तार किया गया पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब जो जंजीर का टुकडा मेरे पास से बरामद हुआ इसको हम दोनो लोगों ने कल सैनिक बिहार कालोनी आशियाना से समय करीब 3.30 बजे दिन मे एक राह चलते महिला के गले से इसी मोटर साइकिल से खींचकर भाग रहे थे कि तभी आगे भागने वाला रास्ता का गेट बन्द होने के कारण जैसे ही हम लोगो ने पीछे मुडकर भागने का प्रयास किया था तभी महिला फिर से हम लोगो को पकडे के लिए हम लोगो के सामने शोर मचाते हुए आ गयी उसके शोर को सुनकर मुहल्ले के काफी लोग लाठी डंडा ले आ गये हम लोगो ने महिला को धक्का देकर गिराकर जैसे ही भागने के लिए आगे बढे कि लोगो ने हम दोनो लोगो को घेरकर मारने पीटने लगे किसी तरह से हम दोनो लोग उनसे बचकर कर भाग गये भागने के दौरान ही मोटर साइकिल फिसलकर गिरने से व जनता के लोगो के मारने पीटने से हम लोगो को चोटे आई है। हडबडाहट मे मेरे पास जंजीर का टुकडा ही रह गया शेष जंजीर का टुकडा कही भागने के चक्कर मे गिर गया बरामद दूसरी जंजीर के बारे मे पूछने पर बताये कि साहब इस जंजीर को हम दोनो लोगो ने दिनांक 22/03/2025 को सुबह करीब छः बजे पीताम्बरा विहार कालोनी चिनहट मे मार्निंग वाक कर रही एक बुजुर्ग महिला के गले से खीचकर भाग गये थे उस समय हम लोगो ने दूसरी गाडी से घटना को किया था आज हम लोग मार्निंग वाक पर निकली महिलाओ के गले से जंजीर खीचने के लिए तलाश कर ही रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया।

05-बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद मोबाइल फोन
- 01 अदद जंजीर पीली धातु
- 01 अदद जंजीर का टुकडा पीली धातु
- 01 अदद मोटरसाइकिल मुकदमाती

06-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
2. उ0नि0 गणेश सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
3. उ0नि0 अमर सिंह थाना आशियाना लखनऊ ।
4. उ0नि0 प्रतीक सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
5. उ0नि0 मनीष सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
6. उ0नि0 आरजू सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
7. हे0का0 अशोक शर्मा थाना आशियाना लखनऊ।
8. का0 ज्ञान सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
9. का0चा0 सन्नी मान थाना आशियाना लखनऊ।
10. का0चा0 कार्तिक कुमार थाना आशियाना लखनऊ।